

* शिक्षा एक निवेश के रूप में (Education as an Investment) →

जब धन को किसी काम में इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि भविष्य में उससे और अधिक धन प्राप्त हो तो उसे निवेश या निवेश कहते हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की धनोपार्जन की क्षमता में विकास होता है जिसका प्रयोग वह अपने भावी जीवन में करता है। इस प्रकार से शिक्षा पर किया गया व्यय अपने में एक निवेश है।

शिक्षा की शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का तात्पर्य केवल उस औपचारिक शिक्षा से है जिसका नियोजन राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है। इसमें मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और सतत शिक्षा आती है।

वर्तमान में हमारे देश में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न है। इसके बाद माध्यमिक, विश्वविद्यालयी, प्रोफेशनल एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। इस शिक्षा की व्यवस्था में राज्य पूर्ण रूप से व्यय करते हैं। इनके द्वारा किये गये व्यय को शिक्षा पर व्यय माना जाता है।

शिक्षा पर व्यय और उसके प्रतिफल पर शिक्षा अर्थशास्त्रियों ने निम्न तथ्यों की खोज की है।

- ① शिक्षा पर किये गये व्यय से बालकों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जैसे- एक दूसरे से मिलने के अवसर प्राप्त होना, खेल के लिए अवसर प्राप्त होना आदि। यह शिक्षा व्यय का उद्योगी तत्व कहलाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा पर किये गये व्यय का प्रतिफल मिलता है। इसलिए शिक्षा अपने में निवेश है।

- ② किसी भी व्यवसाय में अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम लिखे-पढ़े व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशलता से कार्य करता है और अधिक धनोपार्जन करता है इस प्रकार व्यक्ति की शिक्षा पर जो कुछ भी व्यय होता है उसका उसे प्रतिफल मिलता है, जो व्यय की अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए व्यक्ति की शिक्षा पर किया गया व्यय अपने में निनिधोग है।
- ③ उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नये विचारों एवं साधनों की ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें नये विचारों एवं साधनों की ग्रहण करने की शक्ति भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस दृष्टि से शिक्षा अपने में निनिधोग है।
- ④ कृषि से सम्बंधित ज्ञान प्राप्त व्यक्ति उस कृषक की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन करता है। जिसने इस आधुनिक कृषि सम्बंधी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। हीक इसी प्रकार वाणिज्य की उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आज के वाणिज्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न हो रहा है। इसीलिए शिक्षा पर किया गया व्यय अपने में निनिधोग है।
- ⑤ व्यक्ति की शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय से व्यक्ति की स्वयं की आय प्रभावित होती है। उद्योगों में साधारण प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को कम वेतन मिलता है, डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को उनसे अधिक और अधिक समय तक धन व्यय कर इंजिनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनसे अधिक वेतन मिलता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा पर किये जाने वाला व्यय अपने में निनिधोग है।
- ⑥ शिक्षा पर व्यय करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जो राष्ट्र, प्रोफेशनल, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा पर जितना अधिक व्यय करता है उसकी राष्ट्रीय आय उतनी ही अधिक होती है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा पर किये जाने वाला व्यय निनिधोग है।

* निष्कर्ष → इसका अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शिक्षा अपने नै विनियोग है परन्तु उस पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिफल इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षा आमो जनक शिक्षा की योजना बनाने समय आस के स्रोत और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की माँगों कितना ध्यान रखते हैं। यह प्रतिफल इस बात पर भी निर्भर करता है कि शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का कितना सदुपयोग होता है। हमारे यहाँ शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिफल अपेक्षा-कृत अन्य देशों से बहुत कम था। पिछले कुछ वर्षों से हम अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देने लगे हैं और अक्रिबार्प तथा सामान्य शिक्षा के साथ-साथ वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी तथा ~~प्रोफेशनल~~ प्रोफेशनल शिक्षा की व्यवस्था भी करने लगे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा पर किये जाने वाला व्यय विनियोग / निवेश है।

* शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ (Meaning of Equality of Education opportunities) →

शैक्षिक अवसरों की समानता का सामान्य अर्थ है देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेद भाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाएँ प्रदान करना। परन्तु समान अवसर और समान सुविधाओं के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं कुछ विद्वान शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर और समान सुविधाओं से अर्थ देश के सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा अर्थात् समान पाठ्यक्रम से लेते हैं। फिर भी सामान्य शिक्षा सबके लिए समान हो सकती है और होती भी है। परन्तु विद्विष्ट शिक्षा बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और क्षमता के आधार पर दी जाती है। इसके विपरीत कुछ विद्वान इसका अर्थ शिक्षा संस्थाओं के समान रूप से लेते हैं; वे सरकारी, गैरसरकारी, और पब्लिक स्कूलों के भरी अन्तर्गत को समाप्त करने के पक्ष में हैं। उस स्थिति में सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल सकते हैं अन्यथा धनी वर्ग के बच्चे पब्लिक स्कूलों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे और निर्धन वर्ग के बच्चे सरकारी एवं गैरसरकारी स्कूलों की निम्न स्तर की शिक्षा ही प्राप्त कर सकेंगे।

* शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता (Need of Equality of Educational opportunities) →

संसार के सभी देशों में शिक्षा को मानव का मूल अधिकार माना है। तब किसी भी देश में सभी को शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएँ होनी चाहिए।

① लोकतंत्र की रक्षा के लिए → लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है, उसके नागरिकों की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करती है और नागरिकों की योग्यता एवं क्षमता निर्भर करती है शिक्षा पर, अतः देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना आवश्यक है।

② व्यक्तियों के वैयक्तिक विकास के लिए → लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। हमारे देश की स्थिति यह है कि आर्थिक जनसंख्या पिछड़ी है, निर्धन तथा अच्छी शिक्षा से वंचित है। यदि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के अवसर प्रदान करना चाहते हैं तो सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान करें।

③ वर्गभेद की समाप्ति के लिए → देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च वर्ग का आधिकार बढ़ता गया और निम्न वर्ग के व्यक्ति और पिछड़े गये और वर्ग भेद बढ़ता गया। सभी वर्गों के बच्चों एवं युवकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएँ प्राप्त कराना आवश्यक है।

④ समाज के उन्नयन के लिए → लोकतंत्र सामाजिक वर्ग भेद का विरोधी है, वह पूरे राष्ट्र को एक समाज मानता है और उसे समग्र एवं सुसंस्कृत समाज के रूप में विकसित करने में विश्वास करता है। जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित नहीं किया जाता है तब तक हमारे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता की बहुत आवश्यकता है।

* बेसिक शिक्षा का अर्थ → 'बेसिक' शब्द का हिन्दी रूपान्तर 'आधारभूत' है। इसी प्रकार बुनियादी से अन्वेषण भी आधारभूत ही है। इस नवीन शिक्षा को भारत की राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार बनाया गया है और यह प्रयत्न किया गया कि ऐसी शिक्षा ऐसी हो जो बालक की आधारभूत आवश्यकताओं व रुचियों में घनिष्ठ सम्बंध रखे और उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो तथा उसके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो।

* बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त → इसके निम्न सिद्धान्त हैं:-

① निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा → संसार की अन्य उन्नत शील राष्ट्रों की भाँति भारतीय संविधान ने भी नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है। अतः राज्यों का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें। यह बेसिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।

② शिक्षा का आधार हस्तकला → बेसिक शिक्षा के सभी विषय स्थानीय हस्तकला के केंद्र बनाकर पढ़ाये जाते हैं। पहले हस्तकला के अन्तर्गत केवल कटाई-बुनाई तथा कुछ अन्य कलाएँ ही सम्मिलित थी। बाद में इसमें जीवनोपर्यायी सभी कार्यों को सम्मिलित कर लिया गया और अब बालक को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय कलाओं की शिक्षा दी जाने लगी।

③ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा → बालक अपनी मातृभाषा में सरलता से ज्ञानार्जन कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक अंग्रेजी शिक्षा का नामो-निशान मिला दिया गया और बेसिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा निर्धारित किया गया।

④ शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास → बेसिक शिक्षा बालकों के चतुर्मुखी विकास

पर बल ही नहीं देती, बल्कि उनका विकास करने की सामर्थ भी रखती है।

⑤ सामाजिक शिक्षा → बालकों को सामाजिक शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि वे स्वयं उन्नति करें तथा समाज की हितों को ठीक प्रकार से समझे और उत्थान करने में सहयोग देने की तैयार रहें।

⑥ शिक्षा द्वारा आदर्श नागरिक बनाना → सभी लोग जानते हैं कि आज के बच्चे कल के भविष्य नागरिक हैं। गाँधी जी ने देखा कि देश में समाज के शोषकों की संख्या काफी है। ऐसे स्वार्थी लोग पर्याप्त मात्रा में हैं जो व्यक्तिगत हित के लिए समाज व देश हित का गला घोट सकते हैं।

निष्कर्ष → शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को सफल नागरिक तैयार कर सके और उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान करा सके। उनमें सामूहिक रूप से कार्य करने तथा सहभागिता की भावना को विकसित करा सके ताकि वे देश की उन्नति में सहयोग दे सकें।